राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1614/2017

जगदीश प्रसाद रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.11.2017
आदेश की दिनांक : 17.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एल.कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : –

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की 5 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 1993–94 से वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुये उसे ड्रेसर के पद पर नियमित किया जाये और तत्पश्चात् पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा जिस तिथी से उसके समान कार्मिक को लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी समस्त पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान करते हुये वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सेईज के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 11.07.2005 के द्वारा ड्रेसर के पद पर पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी माध्यमिक योग्यता रखता था तथा और उसे वर्ष 1993–94 में उसे पशुधन सहायक के पद के लिये प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु

वर्ष 1998–99 में योग्य था। परंतु उसे ड्रेसर के पद पर नियमित नहीं किया गया था। दिनांक 07.08.2005 को नियमित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 5 वर्ष बाद वर्ष 2010 में पशुधन सहायक के पद के लिये योग्य हुआ। अपीलार्थी को समय पर नियमित नहीं करने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया गया। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम, 2008 में पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये संशोधन किया गया है और उक्त पद भरने हेतु 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का नियम लागू किया गया है। उनका कथन है कि कार्मिक श्री रतनलाल एवं रामफूल मीणा जो सेईज के पद पर नियमित किये गये थे और उन्हें नियम, 1977 के तहत पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। जबकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 5 वर्ष विलम्ब से नियमित किया गया, जिससे अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर समय पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ डी.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 6087/2008 बलवंत सिंह बनाम राजस्थान राज्य जिसमें आदेश दिनांक 30.04.2015 पारित किया गया और इसी तरह माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा बी.एल.गुप्ता व अन्य बनाम एमसीडी (1998) 9 एससीसी 233 में आदेश पारित किया और इस प्रकार अपीलार्थी भी माननीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की 5 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 1993–94 से वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुये उसे ड्रेसर के पद पर नियमित किया जाये और तत्पश्चात् पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा जिस तिथी से उसके समान कार्मिक को लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी समस्त पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान करते हुये वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2005 में पट्टीबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। वर्ष 2008 तक की गई डीपीसी में अपीलार्थी द्वारा पट्टीबंधक के पद पर 5 वर्ष का निर्धारित अनुभव पूर्ण नही होने के कारण अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर

पदोन्नत नहीं किया गया और विभाग के संशोधन नियम, 2008 के लागू होने के जाने के उपरांत पशुधन सहायक के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया समाप्त करते हुये सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें विभाग के सेवा में कार्यरत कार्मिकों के 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सेईज के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 11.07.2005 के द्वारा ड्रेसर के पद पर पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी माध्यमिक योग्यता रखता था तथा और उसे वर्ष 1993–94 में उसे पशुधन सहायक के पद के लिये प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1998–99 में योग्य था। परंतु उसे ड्रेसर के पद पर नियमित नहीं किया गया था। दिनांक 07.08.2005 को नियमित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 5 वर्ष बाद वर्ष 2010 में पशुधन सहायक के पद के लिये योग्य हुआ। अपीलार्थी को समय पर नियमितिकरण नहीं किये जाने के कारण उसे पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति होने से वंचित होना पडा। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2008 के अंतर्गत पशुधन सहायक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को वर्ष 2005 में पट्टीबंधक के पद पर नियमित किया गया और डीपीसी वर्ष 2008 में 5 वर्ष का अनुभव नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। चूंकि पशुपालन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पशुधन सहायक का विभागीय नियमित एक वर्षीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्जित किया गया, जो वर्ष 1993–94 में पूर्ण किया गया और इस प्रकार प्रशिक्षण उपरांत 5 वर्ष बाद अपीलार्थी वर्ष 1998–99 में पशुधन सहायक के पद के लिये योग्य था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलंब से डीपीसी किये जाने उपरांत अपीलार्थी को वर्ष 2005 में पट्टीबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके कारण 5 वर्ष का पूर्ण अनुभव नहीं होने से अपीलार्थी को पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पडा। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में

वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन एक माह में प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुये एवं नियमों की पालना करते हुये यदि अपीलार्थी पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

अतः अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य